



म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचायत भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : mpagrohbpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551967, 2551756

CIN NO-U01119mp1969GC001055

क्र./मुख्या/उद्यान/ संकर सब्जी बीज/2024-25/ 2416

दिनांक - 03/10/2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)

विषय - वर्ष 2023-24 एवं आगे की अवधि के लिए संकर सब्जी बीजों की प्रसारित की गई दरों की वैधता अवधि बढ़ाने बाबत ।

- संदर्भ-1. निगम द्वारा जारी दर प्रसारण पत्र क्रं. 4175 दिनांक 28.03.2024 (प्रसारण क्रं.-01) एवं 758 दिनांक 10.06.2024 (प्रसारण क्रं.-02) एवं 994 दिनांक 28.06.2024 (प्रसारण क्रं.-03)
2. मुख्यालय द्वारा संकर सब्जी बीजों की वैधता अवधि में वृद्धि हेतु जारी पत्र क्रं. 1086/03.07.2024

निगम द्वारा वर्ष 2023-24 एवं आगे की अवधि के लिए संकर सब्जी बीजों के प्रदाय हेतु संदर्भित पत्र क्रम संख्या 01 से दरों का प्रसारण किया गया था एवं संदर्भित पत्र क्रम संख्या 02 के माध्यम से दरों की वैधता अवधि में दिनांक 27.09.2024 तक वृद्धि की गई थी।

विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं नवीन आरसीओ में लगने वाले समय के कारण पूर्व प्रसारित दरों की वैधता अवधि में निम्नानुसार वृद्धि की जाती हैं :-

क्रं.	विवरण	निगम दर प्रसारण पत्र क्रं./दिनांक	वैधता अवधि में प्रस्तावित वृद्धि
1.	संकर सब्जी बीज (Hybrid Vegetable Seeds)	4175 / 28.03.2024 (प्रसारण क्रं -1)	दि 31.12.2024 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक
2.	संकर सब्जी बीज (Hybrid Vegetable Seeds)	758 / 10.06.2024 (प्रसारण क्रं -2)	दि 31.12.2024 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक
3.	संकर सब्जी बीज (Hybrid Vegetable Seeds)	994 / 28.06.2024 (प्रसारण क्रं -3)	दि 31.12.2024 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक

उपरोक्तानुसार संकर सब्जी बीजों की दरें दिनांक 31.12.2024 अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक के लिये वैधता की जाती है, सामग्री प्रदाय से संबंधित सभी शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेंगी ।

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

प्रतिलिपि :-

2416-2417
03/10/2024

प्रबंधक (उद्यान)

1. प्रमुख सचिव, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मंत्रालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मंत्रालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3. संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल ।
4. आयुक्त, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल ।
5. संयुक्त/उप/सहायक संचालक उद्यान (समस्त), उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण की ओर सूचनार्थ ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. संबंधित उत्पादक/प्रदायक मैसर्स..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रबंधक (उद्यान)